

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं० संख्या-5 न०वि०/निर्वा-06/2017 1067 पटना, दिनांक- 20/2/18
नगर पंचायत, केसरिया (पूर्वी चम्पारण) एवं नगर पंचायत, साहेबगंज
(मुजफ्फरपुर) का कार्यकाल दिनांक-30.04.2018 को समाप्त हो रहा है;
और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उन नगरपालिकाओं के लिए चुनाव
कराना आवश्यक हो गया है,

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या-11, 2007)
की धारा 441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य के राज्यपाल,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद् द्वारा नगर पंचायत,
केसरिया (पूर्वी चम्पारण) एवं नगर पंचायत, साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) के पार्षदों के
निर्वाचन के लिये मतदान हेतु 19 अप्रैल, 2018 की तिथि नियत करते हैं तथा
अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों
के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

राज्यपाल के आदेश से,

19/2/2018
(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-5 न०वि०/निर्वा-06/2017 1067

पटना, दिनांक 20/2/18

प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार
राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित/ई-गजट कोषांग, वित्त
विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ ई-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की पच्चीस प्रतियां नगर विकास
एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को उपलब्ध कराने की कोश करें।

19/2/2018
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-5 न०वि०/निर्वा-06/2017 1067

पटना, दिनांक 20/2/18

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के सचिव/विभागीय मंत्री/सभी
विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), पूर्वी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर/सचिव, राज्य
निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/2/2018
प्रधान सचिव।